बुटाना कांड पहुँचा हाईकोर्ट, याचिका में कहा- दोनों लड़कियाँ 'फर्जी एनकाउंटर' की गवाह, इसलिए पुलिस ने उन्हें सबक़ सिखाया और मामले में फँसाया

भीम आर्मी ने खट्टर सरकार को 7 नवम्बर तक की दी चेतावनी

मज़दूर मोर्चा टीम

चंडीगढ़/सोनीपत: बुटाना गैंगरेप, दो पुलिस वालों का मर्डर और एनकाउंटर मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। गैंगरेप की शिकार लड़की की माँ ने याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा है कि चूँकि दोनों लड़कियाँ इस सारे मामले में महत्वपूर्ण गवाह हैं इसलिए बुटाना पुलिस ने उनमें से नाबालिग़ लड़की से गैंगरेप किया और दूसरी लड़की के साथ बर्बरता की।

याचिकाकर्ता ने जानेमाने वक़ील राजविन्दर सिंह बैंस के जरिए दायर याचिका में इंसाफ की माँग करते हुए कहा कि पुलिस सारे मामले में पर्दा डालने के लिए उन लड़कियों को आरोपी बनाकर जेल भेज चुकी है। नाबालिग़ होने के बावजूद लड़की को जेल में रखा गया। उसकी माँ को लड़की से मिलने नहीं दिया जा रहा है। माँग की गई है कि दोनों लड़कियों का फ़ौरन मेडिकल कराया जाए और उनके परिवार को उनसे मिलने दिया जाए।

15 संगठन एक मंच पर आये

बुटाना नामले में आखिरकार भीम आर्मी कूद पड़ी। यहां जन आक्रोश सभा में भीम आर्मी हरियाणा ने बुटाना पुलिस चौकी में दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप, उसकी बड़ी बहन से बदसलूकी और गांव की अन्य लड़कियों को उठाने के मामले में हरियाणा सरकार को 7 नवम्बर तक कार्रवाई की चेतावनी दी है। अगर खट्टर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन छेड़ देगी। सोनीपत के आम्बेडकर पार्क में गुरुवार को भारत नौजवान सभा, छात्र एकता मंच की जन आक्रोश सभा में कई संगठनों ने भागीदारी की। जिसमें चंडीगढ़ से बेखौफ आजादी की महिला कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में पहुंचीं। इस बीच पुलिस चौकी में पुलिस की बदसलूकी का शिकार हुई लड़की को नारी निकेतन करनाल में भेज दिया गया। जहां लड़की की मां को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। जन आक्रोश सभा में शामिल लगभग 15 ग्रुप के नुमाइंदों ने जाँच के सही रूप में न होने और पुलिस द्वारा आरोपियों पर हुई एफआईआर में ढुलमुल रवैये अपनाने के खिलाफ 10 नवम्बर को राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

तूल पकड़ रहा है मामला

बुटाना मामले को मजदूर मोर्चा लगातार उठा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बेखौफ आजादी चंडीगढ़ ने बुटाना और सोनीपत आकर इस मामले की जांच की। इस मामले को अब अंग्रेजी और हिन्दी का राष्ट्रीय मीडिया मजदूर मोर्चा की खबरों को आधार बनाकर रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है।

बता दें कि 29 जून को एक नाबालिग लड़की चचेरी बहन के साथ अपने मित्र अमित से करीब रात 11 बजे गाँव के बाहर मिलने गई थी। अमित अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ गाड़ी से आया हुआ था। आरोप है कि गश्ती पुलिस के दो सिपाहियों ने उन्हें इतनी रात गए पकड़ा और मौके का फायदा उठाते हुए अमित से लड़की को उनके हवाले करने की मांग की। लड़की पर जोर जबरदस्ती करने पर आमादा पुलिस वालो पर अमित ने चाकू से वार कर दिया। जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। पुलिस के मुताबिक उनमें से एक पुलिस वाले ने गाड़ी का नंबर हाथ पर नोट कर लिया था, जिसके जरिए सभी आरोपियों को पकड़ा गया। जिसमें से अमित को सोनीपत सीआईए-2 ने मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया।

इस घटना में मारे गए दोनों पुलिस वालों को हरियाणा सरकार ने शहीद घोषित करते हुए आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी। दोनों पुलिस वालों के मारे जाने के मामले में दोनों लड़कियों को आरोपी बनाकर भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इसके बाद बुटाना पुलिस ने गांव से कई घरों की लड़कियों को पूछताछ के लिए उठाया। उनसे चौकी में बुरा व्यवहार करने का आरोप पुलिस पर है। इसके बाद अमित से मिलने गई दोनों लड़कियों को उनकी मां ने पुलिस के सामने सरेंडर करा दिया। लेकिन बुटाना पुलिस ने उन्हें कई दिन अवैध हिरासत में रखा और जैसा कि परिवार का आरोप है कि उनमें से नाबालिग लड़की से 10-12 पुलिस वालों ने चौकी में ही गैंगरेप किया।

इसी मुद्दे पर सोनीपत के युवक-युवतियों से जुड़े संगठनों ने गुरुवार को जन आक्रोश सभा रखी थी। छात्र एकता मंच के अंकित और प्रवेश कुमारी ने सभी संगठनों को एकजुट होकर इस मामले में बड़ा आंदोलन करने का आह्वान किया। प्रवेश कुमारी ने कहा कि महिला विरोधी अपराधों के खिलाफ जब तक नागरिक संगठनों की एकजुटता नहीं होगी, तब तक यह गूंगी बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। जन आक्रोश सभा में एसएफएस चंडीगढ़, इन्कलाबी मजदूर केंद्र फरीदाबाद, भारतीय किसान पंचायत इत्यादि शामिल हुए।

भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत ने कहा कि अगर नाबालिग लड़की और उसकी बहन को इस मामले में शीघ्र रिहा नहीं किया गया तो इस मामले को लेकर भीम आर्मी पुलिस और सरकार का जीना हराम कर देगी। भीम आर्मी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया।

भारतीय किसान पंचायत के अध्यक्ष भगत सिंह ने पीड़िता के साथ हुए पुलिसिये रवैये और समाज द्वारा मामले पर चुप्पी साधने के पीछे समाज में आई जागरूकता का न होना बताया। उन्होंने कहा कि बेशक समाज में जुल्म बढ़ रहा है पर उसके बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि समाज में लोग जुल्म सहने की आदत डालने में आगे हैं।

एसएफएस चंडीगढ़ पंजाब कॉलेज और बेखौफ आजादी ग्रुप की महिला सदस्य अर्पण ने मामले में फैक्ट फाइंडिंग टीम द्वारा जुटाए गए फैक्ट्स को सामने रखते हुए पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की निन्दा की। एसएफएस की सदस्य अंजलि ने महिलाओं को पित्रसत्तामक बेटियों को तोड़ कर अपने हकों के लिए सडकों पर लड़ने की बात कही।

वामपंथी क्यों डूबे

मामले को बढ़ता देख अब मामले में अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कई पार्टियां आने लगी हैं। भीम आर्मी ने बढ़े स्तर पर अब मुद्दे को आगे ले जाने का वादा किया है। परन्तु समाज में न्याय, समानता और क्रांति का दंभ भरने वाले दल सीपीएम के सभा में मौजूद कुछ नौजवानों से जानने को मिले एक युवक ने बतया कि श्रद्धानंद सोलंकी ने बाकायदा उन्हें बुला कर इस मामले में अपने हाथ न डालने की सलाह दी क्योंकि उनके मुताबिक लड़का एक असामाजिक प्रवृत्ति का था जिसने पुलिस की हत्या की। ऐसे सोच रखने वाले इस तथाकथित कामरेड से पूछा जाना चाहिए कि यदि लड़का असामाजिक था तो क्या इससे किसी को भी लडकी के साथ बलात्कार करने का हक प्राप्त हो जाता है?

वहीं सूत्रों से ज्ञात हुआ कि इलाके की तेज तर्रार महिला नेता जगमती सांगवान ने हाथरस में हुए रेप व् हत्या के मामले में पीड़ित को न्याय दिलाने का आह्वान रोहतक से करने का फैसला किया है। पर इसी जगमती सांगवान ने आजतक अपने ही बुटाना गाँव की इन दो दलित लड़कियों पर हुए गैंगरेप और जुल्म के खिलाफ एक बार भी आवाज नहीं उठाई है। इस तरह से परिस्थिति देखकर न्याय मांगने की प्रवृति ने ही समाज से इन दलों का नामोनिशान समाप्त कर दिया है।

करनाल का मोर्चा

'गन्ने का रेट 400 रुपये और 15 से पहले शुगर मिल चलवाये सरकार'

इन्द्री (करनाल) गन्ना किसानों ने गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये क्विंटल करने और 15 नवम्बर से पहले चीनी मिलों को चालू करने की माँग की है। गन्ना किसान संघर्ष समिति के बैनर के नीचे गन्ना उत्पादक किसान संगठनों की बैठक गन्ना संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामपाल चहल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में गन्ना किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष बिजेन्द्र राणा मुख्य अतिथि के रुप में पहुंचे। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी एवं किसान मौजूद थे। बैठक में गन्ने की कीमत 400 रुपए क्विंटल देने और प्रदेश की शुगर मिलों को 15 नवंबर से पहले चालू करने की मांग को लेकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। बाद में मांगों से युक्त ज्ञापन इंद्री के एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया।

इस मौके पर बोलते हुए गन्ना एक्शन कमेटी के प्रधान एवं गन्ना किसान सर्घष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामपाल चहल ने कहा कि सरकार और शुगर मिलें किसानों के हितों में काम नहीं कर रहे हैं। जिस कारण गन्ना उत्पादक किसानों में निराशा का माहौल बना हुआ है। बढ़ती महंगाई के दौर में तेल, खाद, बीज, दवाइयों और मजदूरी के रेट बढ़ जाने के बाद किसानों के गन्ना की कीमत इस अनुपात में नहीं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों की सरकार सुध नहीं ले रही हो, जिस कारण गन्ना उत्पादक किसानों को विवश होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान को अपनी फसल को तैयार करने में खेतों में होना चाहिए, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से किसान सड़कों पर है।

इस अवसर पर गन्ना किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बिजेन्द्र राणा ने कहा कि शुगर मिलों ने अभी तक गन्ना उत्पादक किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान नहीं दिया है जिस कारण किसानों की आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। अकेले नारायणगढ़ शुगर मिल की तरफ किसानों के गन्ने का करीब 60 करोड़ का भुगतान अटका पड़ा है। सरकार किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है।

नये श्रम कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ...अंदाज अपना-अपना

फरीदाबाद (म.मो.): 28 अक्टूबर को मोदी सरकार के बनाये दो नये श्रम कानूनों के खिलाफ दो मजदूर यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किये, लेकिन दोनों के अंदाज अपने-अपने थे। भारतीय मजदूर संघ ने जहां 12 सैक्टर के श्रम विभाग के कार्यालय से जुलूस शुरू किया और लघु सचिवालय जाकर डीसी को ज्ञापन सौंपा वहीं इन्कलाबी मजदूर केन्द्र ने लघु सचिवालय पर ही प्रदर्शन किया।

इन्कलाबी मजदूर केन्द्र के श्रमिकों ने जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नेताओं ने श्रम कानून में किये गये बदलावों के बारे में विस्तार से मजदूरों को समझाया कि किस तरह ये कानून मजदूर हितों पर कुठाराघात करेंगे।

दूसरी तरफ आरएसएस के भारतीय मजदूर संघ ने सिर्फ वन्देमातरम् और भारत माता की जय के नारे लगाये। उन्होंने बड़ी ही दबी आवाज में सरकार से नये कानूनों को वापिस लेने की मांग की लेकिन पूरी एहतियात बरती कि कहीं भूल से भी मोदी या बीजेपी या आरएसएस का नाम बीच में ना आ जाये। जब उनके एक नेता से पूछा कि भाईसाहब ये नये कानून तो मोदी जी लाये हैं तो आप उनके खिलाफ नारे क्यों नहीं लगा रहे हो तो वो हंसकर टाल गये।

स्पष्ट है कि आरएसएस की मजदूर यूनियन मजदूरों में अपनी पैठ बनाये रखने के लिये सिर्फ विरोध की रस्म अदायगी कर रही थी। लेकिन इस रस्म अदायगी के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा ये नये कानूनों के प्रति मजदूरों में फैले भारी असंतोष को दर्शाता है।